

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY**

LOK SABHA

**UNSTARRED QUESTION NO. 2187
TO BE ANSWERED ON 08.03.2021**

ADMISSION QUOTA IN KENDRIYA VIDYALAYAS

2187. SHRIMATI SUNITA DUGGAL:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

- (a) the list of Kendriya Vidyalayas in the country, State-wise;
- (b) the details of the various quota available for the candidates to take admission in Kendriya Vidyalayas;
- (c) the time by which KVS, Badopal (Haryana) is likely to shift into its new building as it is running in Government primary school building since its inception;
- (d) whether the Government has received any proposal from State Government of Haryana for opening of new KV and if so, the details thereof?

ANSWER

**MINISTER OF EDUCATION
(SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')**

- (a) As present, 1242 Kendriya Vidyalayas (KVs) are functioning in the country. State/UT wise details are annexed.
- (b) As per the norms, 15% for SCs, 7.5% for STs and 27% for OBCs quotas are available in admission in class-I. 3% horizontal reservation quota has also been provided to differently abled candidates. As per Right to Education Act Provisions, initially 25% of available seats in class-I are filled by draw of lots from all applications of SC/ ST / EWS/ BPL/ OBC (Non-Creamy Layer) who are the resident of Neighborhood / Differently abled taken together.
- (c) Construction of permanent buildings for KVs is a continuous process, which depends upon identification of suitable land, completion of lease formalities in favour of KVS by the sponsoring authorities, submission of drawings / estimates by construction agency, availability of funds and requisite approvals etc. As such, no definite time frame can be given in this regard.
- (d) KVS has informed that no proposal in the prescribed proforma has been received from State Government of Haryana for opening of new KVs.

ANNEXURE

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF THE LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2187 RAISED BY SHRIMATI SUNITA DUGGAL, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT TO BE ANSWERED ON 8TH MARCH 2021 REGARDING ADMISSION QUOTA IN KENDRIYA VIDYALAYAS.

STATE/UT WISE NUMBER OF 1242 KENDRIYA VIDYALAYAS (As on 01.03.2021)

Sr.	Name of State/ UT	Total
1	Andaman and Nicobar Islands	02
2	Andhra Pradesh	35
3	Arunachal Pradesh	19
4	Assam	58
5	Bihar	49
6	Chandigarh	05
7	Chhattisgarh	36
8	D & N Haveli	01
9	Daman & Diu	01
10	Delhi	46
11	Goa	05
12	Gujarat	45
13	Haryana	34
14	Himachal Pradesh	25
15	Jammu & Kashmir	36
16	Jharkhand	41
17	Karnataka	51
18	Kerala	38
19	Lakshadweep	01
20	Ladakh	03
21	Madhya Pradesh	112
22	Maharashtra	59
23	Manipur	09
24	Meghalaya	07
25	Mizoram	04
26	Nagaland	06
27	Odisha	63
28	Puducherry	04
29	Punjab	50
30	Rajasthan	77
31	Sikkim	02
32	Tamil Nadu	45
33	Telangana	35
34	Tripura	09
35	Uttar Pradesh	122
36	Uttarakhand	45
37	West Bengal	62
	TOTAL	1242

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2187
उत्तर देने की तारीख: 08.03.2021

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश कोटा

2187 सुश्री सुनीता दुग्गल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में केन्द्रीय विद्यालयों की राज्य-वार सूची क्या है;
- (ख) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध विभिन्न कोटों का क्या ब्यौरा है;
- (ग) आरंभ से ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय के भवन में चल रहे केन्द्रीय विद्यालय, बडोपल (हरियाणा) के अपने नए भवन में कब तक स्थानान्तरित हो जाने की संभावना है; और
- (घ) क्या सरकार को हरियाणा राज्य सरकार से नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) वर्तमान में, देश में 1242 केन्द्रीय विद्यालय (केवि) कार्यात्मक हैं। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार विवरण संलग्न है।

(ख) मानदंडों के अनुसार, कक्षा I में प्रवेश के लिए एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% कोटा उपलब्ध है। भिन्न रूप से सक्षम उम्मीदवारों को 3% क्षैतिज आरक्षण कोटा भी प्रदान किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रावधानों के अनुसार, शुरू में कक्षा-I में उपलब्ध 25% सीटों को एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/बीपीएल/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) जो आस-पड़ोस के निवासी/भिन्न रूप से सक्षम उम्मीदवारों के सभी आवेदनों से लॉटरी द्वारा भरा जाता है।

(ग) केंद्रीय विद्यालयों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा उपयुक्त भूमि की पहचान करने, केविसं के पक्ष में पट्टे की औपचारिकता पूरी करने, निर्माण एजेंसी द्वारा नक्शा/अनुमान प्रस्तुत करने, निधि की उपलब्धता और अपेक्षित अनुमोदन आदि पर निर्भर करता है। इसलिए, इस संबंध में कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

(घ) केविसं ने सूचित किया है कि नए केवि खोलने के लिए हरियाणा राज्य सरकार से निर्धारित प्रोफार्मा में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश कोटा के संबंध में सुश्री सुनीता दुग्गल द्वारा पूछे गए दिनांक 08.03.2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2187 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार 1242 केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या (01.03.2021 तक)

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कुल
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	02
2	आंध्र प्रदेश	35
3	अरुणाचल प्रदेश	19
4	असम	58
5	बिहार	49
6	चंडीगढ़	05
7	छत्तीसगढ़	36
8	डी एंड एन हवेली	01
9	दमन और दीव	01
10	दिल्ली	46
11	गोवा	05
12	गुजरात	45
13	हरियाणा	34
14	हिमाचल प्रदेश	25
15	जम्मू और कश्मीर	36
16	झारखंड	41
17	कर्नाटक	51
18	केरल	38
19	लक्षद्वीप	01
20	लद्दाख	03
21	मध्य प्रदेश	112
22	महाराष्ट्र	59
23	मणिपुर	09
24	मेघालय	07
25	मिजोरम	04
26	नागालैंड	06
27	ओडिशा	63
28	पुदुचेरी	04
29	पंजाब	50
30	राजस्थान	77
31	सिक्किम	02
32	तमिलनाडु	45
33	तेलंगाना	35
34	त्रिपुरा	09
35	उत्तर प्रदेश	122
36	उत्तराखंड	45
37	पश्चिम बंगाल	62

	कुल	1242
--	-----	------